तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिक्ता उभय पक्ष उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलार्थी ने उक्त अपील मेमों में जो तथ्य वर्णित किए हैं वह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) से संबंधित है। अतः हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने हस्तगत प्रकरण में विधिवत सुनवाई करके निर्णय पारित किया है जो कि धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आता है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) से संबंधित तथ्यों पर प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के अधिकार/क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्रदत्त नहीं है ऐसी स्थिति मे अपील मेमों एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अधिवक्ता अपीलार्थी को लौटाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। अपील मेमो एवं दस्तावेज की छायाप्रति पत्रावली में रखी जावे। पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पुनः लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official